प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू–निवाणी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे0 सिविल वन भूमि, 1.05 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.680 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे0 कुल भूमि 3.09 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राज्य योजना के लंगासू–निवाणी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 764/111(2)/ 08–65 (प्रा0आ0)/07 दिनांक 24/03/2008 के द्वारा 15.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 551.25 लाख की प्राप्त हुई हैं। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 7.900 कि0मी0 आती है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग एन0एच0 07 के कि0मी0 409..... (हे0मी0 ....) से प्रारम्भ हो कर सोनला–कण्डारा–मैखुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 20 में जुड जायेगा। । इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम–निवाणी, उमराकोट उर्फ बैडाणू, उल्फाडा, घरकूडी (उल्फाडा) एवं सिलंगी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र यातायात से जुड जायेगे । इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेगें, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि मार्ग निर्माण न्यूनतम आरक्षित/सिविल एवं वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1–सिविल वन भूमि 0.300 कि0मी0 x 7 मी0	=	0.210 हे0
2–वन पंचायत भूमि 1.50 कि0मी0 X 7 मी0	=	1.05 हे0
3–आरक्षित वन भूमि 2.400 कि0मी0 x 7मी0	=	1.680 हे0
5–मक डिस्पोजल हेतु	=	0.150 हे0
योग	**=**	**3.09 हे0 ।**

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.210 हे0 सिविल वन भूमि, 1.05 हे0 वन पंचायत भूमि , 1.680 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल 0.150 हे0 कुल 3.09 हे0 वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर